विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 521 द्वारा श्री संजय उइके [8/7/2019]

सदन में उत्तर देने का दिनांक 08.07.2019 उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 28.06.2019

प्रश्न सं. [क्र. 521]

परिशिष्ट-1

अनुबंध पत्र

यह अनुबंध ..... (आयुक्त/राज्य कार्यक्रम अधिकारी/ प्रमुख अभियंता /मुख्य कार्यपालन अधिकारी,.....) एवं ..... आत्मज/ आत्मजा/पत्नि/ ..... निवासी ..... के मध्य निम्नानुसार शर्तों पर किया जाता है :-

(1) यह संविदा नियुक्ति निश्चित समय सीमा (दो वर्ष) के लिये होगी। संविदा पर नियुक्त अभ्यार्थी को पदनाम ..... पर कार्यभार ग्रहण करते समय चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) संविदाकर्मी को निश्चित मासिक मानदेय/पारिश्रमिक (Fix Pay) राशि रू. ..... देय होगा।

(3) संविदाकर्मी को एक निश्चित कार्य (Assignment) ..... के लिये रखा जाता है।

(4) संविदा पर नियुक्त संविदाकर्मी की संविदा अवधि पूर्ण होने पर नियुक्ति स्वमेव ही समाप्त मानी जावेगी, संविदा पर नियुक्त अभ्यार्थी को किसी प्रकार का लिखित में कोई सूचना/पत्र नही दिया जावेगा।

(5) संविदाकर्मी द्वारा नियमितीकरण संबंधी कोई दावा प्रस्तुत नही कर सकेगा।

(6) संविदा पर नियुक्त संविदा कर्मी की सेवाएँ निर्धारित अवधि के पूर्व विभाग/नियोक्ता द्वारा एक माह का वेतन देते हुए बिना किसी नोटिस/सूचना के व कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी।

(7) यदि कोई संविदाकर्मी संविदा अवधि के दौरान संविदा नियुक्ति छोड़ना चाहता है, तो उसे विभाग/नियोक्ता को 30 दिवस पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होगा अथवा एक माह का पारिश्रमिक/मानदेय विभाग में जमा कराना होगा।

(8) संविदाकर्मी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नही देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नही करेगा।

(9) संविदाकर्मी का ई.पी.एफ. कटौत्रा ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान के तहत किया जावेगा।

(10) संविदाकर्मी को वर्ष में केवल 13 दिन के आकस्मिक अवकाश, 03 दिवस के ऐच्छिक अवकाश एवं 15 दिवस के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। महिला संविदा कर्मियों को 180 दिवस के प्रसूति अवकाश एवं पुरूष संविदा कर्मी को 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता मानदेय/पारिश्रमिक सहित होगी। प्रसूति एवं पितृत्व अवकाश प्रथम दो जीवित संतानो तक ही देय होगा।

(11) संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस की अवधि में संविदाकर्मी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा संविदा नियुक्ति स्वमेव ही समाप्त मानी जावेगी।

परियोजना अधिकारी

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

भोपाल (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

(12) संविदाकर्मी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध मे किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जावेगी।

(13) चयनित अभ्यार्थी उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदाकर्मी बिना किसी सूचना/आवेदन के अपने कर्त्तव्य से लगातार 15 दिवस या इससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति उसकी अनुपस्थिति तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

(14) संविदा समाप्ति या किसी प्रकार का कोई विवाद दोनो पक्षों के मध्य उत्पन्न होता है तो विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय एक मात्र आर्बिट्रेटर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का होगा, जो दोनो पक्षों को मान्य/बंधनकारी होगा तथा इस विवाद के निराकरण का क्षेत्राधिकार भोपाल होगा। किसी भी पक्ष को ऐसे विवाद के निराकरण के लिये न्यायालय बाधित रहेगा।

हस्ताक्षर . . . .

(संबंधित नियोक्ता का नाम)
पदनाम . . . . .
सील
फोन. न. . .

हस्ताक्षर . . .

(अभ्यार्थी का नाम)
पिता/पति का नाम . . .
पता . . . .
मो नं. . . ई–मेल . .

गवाह

1–हस्ताक्षर
नाम
पिता/पति का नाम . . .
पता . . . .
मो.नं. . . . . ई–मेल . . .

परियोजना अधिकारी
परियोजना अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र.)

2–हस्ताक्षर
नाम . . . .
पिता/पति का नाम . . .
पता . . . .
मो.नं. . . . . . ई–मेल .

Scanned by CamScanner